



राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क्रमांक एफ 701(0)पंरावि/पंरावि/प्रशा.2/व.सू./अधि.अभि./18/36/2

जयपुर, दिनांक :- 8.8.18

आदेश

राजस्थान ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1998 संशोधित 2013 के नियम 32 के अनुरूप वर्ष 2014-15 (01.04.14) से वर्ष 2017-18 (दिनांक 31.03.18) तक कार्यरत अधिशाषी अभियन्ता (सिविल) की अस्थाई (Provisional) वरिष्ठता सूची निम्नानुसार जारी की जाती है। वरिष्ठता सूची के संबंध में किसी भी अधिशाषी अभियन्ता को आपत्ति हो तो आदेश जारी होने की दिनांक के 10 दिवस के अन्दर अपनी आपत्ति विभाग में प्रस्तुत की जा सकती है। निश्चित तिथि के बाद प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जाकर अन्तिम वरिष्ठता सूची जारी कर दी जावेगी :-

क्र.सं.	नाम अधिशाषी अभियन्ता	जन्मतिथि	आदेश व दिनांक जिससे अधिशाषी अभियन्ता के पद पर पदोन्नति हुई	अधिशाषी अभियन्ता के पद पर पदोन्नति वर्ष	विशेष विवरण
1.	2	3	4	5	6.
1.	श्री हितबल्लभ शर्मा (डिप्री)	03.04.65	एफ701(50)ग्राविप/प्रशा.1/स.अ./पदो./94/1685 दिनांक 27.5.08	2006-07	
2.	श्री अरविन्द सक्सैना (डिप्री)	10.02.68	एफ701(50)ग्राविप/प्रशा.1/स.अ./पदो./94/1685 दिनांक 27.5.08	2006-07	
3.	श्री राजेश कुमार बंसल (डिप्री)	10.07.61	एफ 701(50)ग्राविप/प्रशा.1/स.अ./पदो./94/1685 दिनांक 27.5.08	2006-07	
4.	श्री नटवर लाल श्रीमाली (डिप्लोमा)	07.09.54	एफ 701(83)ग्राविप/प्रशा.1/स.अ./क.अ./पदो./98/2127 दिनांक 22.10.09	2009-10	सेवानिवृत्त 30.9.14
6.	श्री चन्द्र शेखर (एस.सी.) (डिप्लोमा)	31.01.60	एफ 701(83)ग्राविप/प्रशा.1/स.अ./क.अ./पदो./98/2127 दिनांक 22.10.09	2009-10	
7.	श्री जगवीर सिंह (डिप्लोमा)	06.10.57	एफ 701(83)ग्राविप/प्रशा.1/स.अ./क.अ./पदो./98/2665 दिनांक 20.12.11	2009-10	सेवानिवृत्त 31.10.17
8.	श्री सत्येन्द्र कुमार जैन (डिप्लोमा)	10.07.55	एफ 701(83)ग्राविप/प्रशा.1/स.अ./क.अ./पदो./98/2127 दिनांक 22.10.09	2009-10	सेवानिवृत्त 31.07.15
9.	श्री सुरेश कुमार दाधीच (डिप्लोमा)	01.07.60	एफ 701(83)ग्राविप/प्रशा.1/स.अ./क.अ./पदो./98/2127 दिनांक 22.10.09	2009-10	
10.	श्री बद्रीप्रसाद शर्मा (डिप्लोमा)	01.10.59	एफ 701(83)ग्राविप/प्रशा.1/स.अ./क.अ./पदो./98/2127 दिनांक 22.10.09	2009-10	
11.	श्री राजेन्द्र कुमार मित्तल (डिप्लोमा)	30.12.60	एफ 701(83)ग्राविप/प्रशा.1/स.अ./क.अ./पदो./98/2127 दिनांक 22.10.09	2009-10	
12.	श्री रामनिवास शर्मा (डिप्री)	15.10.67	एफ 701(83)ग्राविप/प्रशा.1/स.अ./क.अ./पदो./98/2127 दिनांक 22.10.09	2009-10	
13.	श्री लोकेश दाधीच (डिप्री)	11.05.67	एफ 701(0)पंरावि/प्रशा.2/अधि.सहा.अभि./पदो./13/751 दिनांक 4.3.13	2012-13	
14.	श्री विजय प्रकाश जालूका (डिप्री)	30.09.67	एफ 701(0)पंरावि/प्रशा.2/अधि.सहा.अभि./पदो./13/751 दिनांक 4.3.13	2012-13	

15.	श्री राजेन्द्र धौलिया (डिग्री)	05.06.67	एफ 7010पंरावि/प्रशा.2/ अधि.सहा. अभि. /पदो./13/ 751 दिनांक 4.3.13	2012-13	
16.	श्री दिनेश चन्द बडसर (डिग्री)	01.06.63	एफ 7010पंरावि/प्रशा.2/ अधि.सहा. अभि. /पदो./13/ 751 दिनांक 4.3.13	2012-13	
17.	श्री संजय शर्मा (डिग्री)	10.09.69	एफ 7010पंरावि/प्रशा.2/ अधि.सहा. अभि. /पदो./13/ 751 दिनांक 4.3.13	2012-13	
18.	श्री भगवती लाल गुप्ता (डिग्री)	01.07.65	एफ 7010पंरावि/प्रशा.2/ अधि.सहा. अभि. /पदो./13/ 751 दिनांक 4.3.13	2012-13	
19.	श्री नरेश बोहरा (डिग्री)	08.02.62	एफ 7010पंरावि/प्रशा.2/ अधि.सहा. अभि. /पदो./13/ 1361 दिनांक 6.5.13	2012-13	
20.	श्री रमजान अली खान (डिग्री)	01.06.68	एफ 7010पंरावि/प्रशा.2/ अधि.सहा. अभि. /पदो./13/ 751 दिनांक 4.3.13	2012-13	
21.	श्री रामबाबू शर्मा (डिग्री)	07.10.62	एफ 7010पंरावि/प्रशा.2/ अधि.सहा. अभि. /पदो./13/ 751 दिनांक 4.3.13	2012-13	
22.	श्री विनोद कुमार दाधीच (डिग्री)	08.02.65	एफ 7010पंरावि/प्रशा.2/ अधि.सहा. अभि. /पदो./13/ 751 दिनांक 4.3.13	2012-13	
23.	श्री भास्कर दत्त (डिग्री)	02.05.68	एफ 7010पंरावि/प्रशा.2/ अधि.सहा. अभि. /पदो./13/ 751 दिनांक 4.3.13	2012-13	
24.	श्री सिराज अली बोहरा (डिग्री)	08.03.62	एफ 7010पंरावि/प्रशा.2/ अधि.सहा. अभि. /पदो./13/ 751 दिनांक 4.3.13	2012-13	
25.	श्री कबीर अख्तर खान (डिग्री)	15.03.70	एफ 7010पंरावि/प्रशा.2/ अधि.सहा. अभि. /पदो./13/ 751 दिनांक 4.3.13	2012-13	

विभागीय आदेश क्रमांक 3476 दिनांक 19.12.13 द्वारा जारी वरिष्ठता सूची के विरुद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में एस.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 10604/2015 दायर की हुई है जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा उक्त आदेश की क्रियान्विति पर स्थगन दिया गया है। अतः वरिष्ठता सूची माननीय न्यायालय के निर्णयाधीन रहेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(कुंजी लाल मीना)
शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
4. संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद।
5. संबंधित अधिशाषी अभियन्ता।
6. ए.सी.पी. मुख्यालय को आदेश विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. गार्ड फाईल

अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव